



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221360
CG-DL-E-26082020-221360

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2541]
No. 2541]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

का.आ. 2868(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2223 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2017 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई(एक्सटेंशन) के गड़-पोरबंदर-द्वारका तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 ई (एक्सटेंशन) के चार लेन या अधिक के पोरबंदर द्वारका खंड डिजाइन किमी 379.100 से किमी 496.848 तक (वर्तमान चैनेज 356.766 किमी से 473.000 किमी) के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 93.249 किमी तथा 37.69 किमी की समकक्ष लंबाई (जिसकी लंबाई 3.769 किमी है) की संरचना (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में

विनिर्दिष्ट दरों के 100 प्रतिशत पर और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 20.730 किमी और लागत दस करोड़ या अधिक है, के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उदग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के प्राधिकृत करती है, अर्थात :

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उदग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई जिसके लिए शुल्क संदेय है (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	2.	3.
गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में कुचडी गांव के निकट रारा-8ई (एक्सटेंशन) के डिजाइन चैनेज 409.500 किमी (वर्तमान किमी 384.900) पर	30.032 (10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाइपासों की लंबाई तथा 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
गुजरात राज्य के द्वारका जिले में ओखामाड़ी गाँव के निकट रारा- 8ई (एक्सटेंशन) के डिजाइन चैनेज 470.875 किमी (वर्तमान किमी 446.625) पर	63.217 (10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाइपासों की लंबाई तथा 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी -3						
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	समाप्त होते हुए	बाइपास की लम्बाई (किमी में) तथा लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई(किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में कुचड़ी गांव के निकट रारा- 8ई (एक्सटेंशन) के डिजाइन चैनेज 409.500 किमी (वर्तमान किमी 384.900) पर	पोरबंदर बाइपास	डिजाइन किमी 379.100 (विद्यमान किमी 356.847)	डिजाइन किमी 400.800 (विद्यमान किमी 375.921)	20.00 (60 मी से अधिक की संरचना को छोड़कर)	518.76	चार और अधिक लेनों हेतु ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में कुचड़ी गांव के निकट रारा- 8ई (एक्सटेंशन) के डिजाइन चैनेज 409.500 किमी (वर्तमान किमी 384.900) पर	विसावड़ा बाइपास	डिजाइन किमी 421.200 (विद्यमान किमी 396.644)	डिजाइन किमी 422.800 (विद्यमान किमी 398.166)	0.730 (60 मी से अधिक की संरचना को छोड़कर)	125.26	चार और अधिक लेनों हेतु ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज)	संरचनाओं की लंबाई (किमी में) जिसे समकक्ष सड़क लंबाई में परिवर्तित किया जाना है	समकक्ष सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में कुचड़ी गांव के निकट रारा- 8 ई (एक्सटेंशन) के डिजाइन चैनेज 409.500 किमी (वर्तमान किमी 384.900) पर	2.938*	29.38	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
गुजरात राज्य के द्वारका जिले में ओखामाड़ी गाँव के निकट रारा- 8ई (एक्सटेंशन) के डिजाइन चैनेज 470.875 किमी (वर्तमान किमी 446.625) पर	0.831**	8.310	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*चार लेन संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	डिजाइन किमी 386.300	डिजाइन किमी 387.200	बड़ा जंक्शन पुल	0.900
2	डिजाइन किमी 388.590	डिजाइन किमी 388.930	बड़ा जंक्शन पुल	0.340
3	डिजाइन किमी 389.100	डिजाइन किमी 389.490	बड़ा जंक्शन पुल	0.390
4	डिजाइन किमी 395.220	डिजाइन किमी 395.290	बड़ा जंक्शन पुल	0.070
5	डिजाइन किमी 415.814	डिजाइन किमी 416.044	बड़ा जंक्शन पुल	0.230
6	डिजाइन किमी 420.102	डिजाइन किमी 420.240	बड़ा जंक्शन पुल	0.138
7	डिजाइन किमी 421.804	डिजाइन किमी 422.674	बड़ा जंक्शन पुल	0.870
कुल				2.938

**चार लेन संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	डिजाइन किमी 432.860	डिजाइन किमी 433.691	बड़ा जंक्शन पुल	0.831
कुल				0.831

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रुपए (दो सौ पैंसठ रुपए) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी - 5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2146.30 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन – उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/ 13013/547/सीओ/19-20/जीसी-पोरबंदर –द्वारका पैकेज 8]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

S.O. 2868(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2223(E) dated 14th July, 2017 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Gadu- Porbandar-Dwarka section of National Highway No. 8E (Ext.) in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 93.249 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 37.69 km (having length structure 3.769 km) and at 150 % of the base rate for bypasses having length of 20.730 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Four lane or more of Porbandar Dwarka section from design Km 379.100 to Km 496.848 (Existing Chainage Km 356.766 to Km 473.000) of National Highway number 8E (Ext.) in the State of Gujarat and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely:—

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Ch. design Km 409.500 (existing km 384.900) of NH 8E (Ext.) near village Kuchadi in Porbandar district of State Gujarat	30.032 [Excluding length of By pass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Ch. design Km 470.875 (existing km 446.625) of NH 8E (Ext.) near village Okhamadi in Dwarka district of State Gujarat	63.217 [Excluding length of By pass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plazas for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :—

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the By pass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Ch. design Km 409.500 (existing km 384.900) of NH 8E (Ext.) near village Kuchadi in Porbandar district of State Gujarat	Porbandar By Pass	Design Km 379.100 (existing Km 356.847)	Design Km 400.800 (existing Km 375.921)	20.00 [Excluding length of Structure (>60m)]	518.76	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

At Ch. design Km 409.500 (existing km 384.900) of NH 8E (Ext.) near village Kuchadi in Porbandar district of State Gujarat	Visavada	Design Km 421.200 (existing Km 396.644)	Design Km 422.800 (existing Km 398.166)	0.730 [Excluding length of Structure (>60m)]	125.26	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
--	----------	---	---	--	--------	--

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Ch. Design Km 409.500 (existing km 384.900) of NH 8E (Ext.) near village Kuchadi in Porbandar district of State Gujarat	2.938*	29.38	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Ch. Design Km 470.875 (existing km 446.625) of NH 8E (Ext.) near village Okhamadi in Dwarka district of State Gujarat	0.831**	8.310	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of 4 lane structures are as under :—

Sr No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Design Km 386.300	Design Km 387.200	Major Junction Bridge	0.900
2	Design Km 388.590	Design Km 388.930	Major Junction Bridge	0.340
3	Design Km 389.100	Design Km 389.490	Major Junction Bridge	0.390
4	Design Km 395.220	Design Km 395.290	Major Junction Bridge	0.070
5	Design Km 415.814	Design Km 416.044	Major Junction Bridge	0.230
6	Design Km 420.102	Design Km 420.240	Major Junction Bridge	0.138
7	Design Km 421.804	Design Km 422.674	Major Junction Bridge	0.870
Total				2.938

**The details of 4 lane structures are as under :—

Sr No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Design Km 432.860	Design Km 433.691	Major Junction Bridge	0.831
Total				0.831

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 265 (Two hundred And Sixty Five Only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2146.30 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of

capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/19-20/GC-Porbandar-Dwarka Pckg8]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.